संख्या- 168 /2026/1440 /चार-2026-2031643

प्रेषक,

राज कुमार
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,उ0प्र0
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग **लखनऊ: दिनांक: 29 मई, 2026**

विषय:- ज्ञान भारतम मिशन के अन्तर्गत पाण्डुलिपि मित्र रखे जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-408/सं0नि0-15(25)/2026-27, दिनांक 19 मई, 2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा निदेशक, उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ के पत्र संख्या-95/ नौ-70/2026-27 दिनांक 18 मई, 2026 व कैबिनेट सचिव, भारत सरकार, सेवा तीर्थ की अध्यक्षता में 'ज्ञान भारतम राष्ट्रीय पाण्डुलिपि सर्वे' के संबंध में दिनांक 12 मई, 2026 को वर्चुअल माध्यम से सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त संख्या- 1/91/2025-CA.V दिनांक 14 मई, 2026 के बिन्दु 4.4 में दिये गये निर्देश के क्रम में 250 विद्यार्थियों की कार्यशाला कर 100 पाण्डुलिपि मित्रों (यू0 जी0 सी0 की दरों के आधार पर रू0 1000/- प्रतिदिन की दर से 15 दिवस हेतु) के चयन पर होने वाले व्यय रू0 15.00 लाख की स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में अनुरोध किया गया है।

2. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार ज्ञान भारतम मिशन के अन्तर्गत 100 पाण्डुलिपि मित्रों (यू0 जी0 सी0 की दरों के आधार पर रू0 1000/- प्रतिदिन की दर से 15 दिवस हेतु) को रखे जाने पर होने वाले व्यय **रू0 15.00 लाख (रूपये- पन्द्रह लाख मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति एतद्द्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

शर्तें/ प्रतिबन्ध:-

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2025, दिनाँक- 28-मार्च, 2026 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) संस्कृति निदेशालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल / बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।

(4) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत करते हुए कार्य की पूर्णता सुनिश्चित की जायेगी।

(7) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदी पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।

(8) उक्त धनराशि निदेशक, संस्कृति निदेशालय के निवर्तन पर है, अतः बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति

https://shasanadesh.up.gov.in

निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(9) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) स्वीकृत धनराशि आहरित कर उ0 प्र0 राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी। राजकीय अभिलेखागार द्वारा धनराशि का व्यय विवरण संस्कृति निदेशालय तथा शासन को एक माह में उपलब्ध कराया जायेगा।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय **रू0 15,00,000.00 (रूपये पन्द्रह लाख मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक के अनुदान सं0 92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय -13-आजादी का अमृत काल महोत्सव-42 अन्य व्यय मद के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2025, दिनाँक- 28-मार्च, 2026 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
राज कुमार
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार,जवाहर भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, उ0 प्र0 राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राज कुमार
संयुक्त सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।